

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन राज्य की बिक्रियों, व्यापार आदि पर करों/मूल्य वर्धित कर, स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, यात्री एवं माल कर, कृषि (क्रय कर) से समायुक्त प्राप्तियों तथा कर-भिन्न प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।
3. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाओं की नमूना - लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये और वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु पिछले वर्षों के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2011-12 से अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हैं, शामिल किए गए हैं।
4. लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई है।